न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 21 सन् 2019
पंजीयन दिनांक 07.02.2019

1. डालचन्द पिता हीरालाल जाति माली निवासी हीरा कृषि फार्म बुन्दी रोड चित्तौड़गढ़
2. पप्पु बाई पत्नि डालचन्द जाति माली निवासी हीरा कृषि फार्म बुन्दी रोड चित्तौड़गढ़
3. राजू पिता डालचन्द जाति माली निवासी हीरा कृषि फार्म बुन्दी रोड चित्तौड़गढ़

–अपीलांटगण

विरूद्व

1. रतनलाल पिता डालचन्द जाति माली निवासी गांधीनगर चित्तौड़गढ़
2. कैलाश चन्द पिता डालचन्द जाति माली निवासी गांधीनगर चित्तौड़गढ़
3. चांदीबाई पत्नि डालचन्द जाति माली निवासी गांधीनगर चित्तौड़गढ़
4. अनिल पिता छितरमल जाति समदानी निवासी भदादा मोहल्ला भीलवाडा
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़
6. कंकुबाई पत्नि हीरालाल जाति माली निवासी गांधीनगर चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
प्रकरण संख्या 42/2012 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 24.10.2018

उपस्थित– 1. शान्तिलाल बसेर –अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. बसन्तीलाल पोखरना–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट–1 से 3
3. छोगालाल डाड – रेस्पोडेन्ट सं. 4
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 5
5. सुरेश चन्द शर्मा – रेस्पोडेन्ट सं. 6

निर्णय **दिनांक 28.01.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण द्वारा अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व मौजा चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 1543, 1544, 1549, 1553, 1555, 1556, 1554, 1557, कुल किता 8 कुल रकबा 1.53 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध मे अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय मे धारा 88, 53 , 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण ने पुश्तैनी भूमि होने से उनका हक व हिस्सा निहित होने से खातेदारी घोषणा बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता चाही गई।

जिस पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दिनांक 03.02.2012 को वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया जिस पर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वादग्रस्त कृषि आराजीयात प्रतिवादी अपीलान्टगण सं. 2 व 3 के स्वामित्व एवं खातेदारी मे अंकित होकर कब्जा होना बताया है। उक्त भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र व दानपत्र से अपीलान्ट सं. 2 व 3 के नाम खातेदारी मे दर्ज होना व पिता के जीवित रहते हुए घोषणा एवं बंटवाडे का वाद चलने योग्य नही होना वादग्रस्त आराजीयात मे 1/2 हक रेस्पोडेन्ट सं. 6 के नाम पर दर्ज था जिसे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण ने विक्रय कर राशि प्राप्त कर ली। हक से अधिक भूमि का विक्रय रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 कर चुके है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण ने पूर्व मे इसी भूमि के बारे मे वाद पत्र पेश किया। उक्त वाद पत्र राजीनामे से रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण रेस्पोडेन्टगण ने अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के पक्ष मे खातेदारी अधिकार का त्याग कर दिया। उक्त राजीनामा रेस्पोडेन्टगण वादीगण द्वारा पूर्व मे प्रकरण सं. 38/2008 निर्णय दिनांक 12.07.2011 द्वारा राजीनामा कर लेने से रेस्पोडेन्टगण वादीगण का कोई स्वामित्व एवं हक शेष नही रहा है। तथा अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री रेसज्युडिकेटा का असर रखता है। राजस्व न्यायालय को पंजीकृत विक्रय पत्र एवं दानपत्र शून्य घोषित करने का अधिकार नही है। साथ ही जवाबदावे के साथ अपीलान्टगण की ओर से जवाबदावे के साथ काउन्टर क्लेम इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलान्टगण प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 के खातेदारी की होकर कब्जे काश्त मे चली आ रही है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण उक्त आराजीयात मे किसी प्रकार की दखलदांजी न करे ना करावे। इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई। काउन्टर क्लेम मे यह दाद भी चाही गई कि उक्त आराजीयात के सम्बन्ध मे प्रकरण सं. 38/2008 रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने इन्ही आराजीयात के सम्बन्ध मे घोषणा व बंटवाडा हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमे दिनांक 12.07.2012 को आदेश 23 नियम 3 जा0 दी0 के तहत राजीनामा प्रस्तुत किया गया व राजीनामे मे यह तथ्य अंकित किये गये कि हम एक ही परिवार के होने के कारण परिवार मे अनावश्यक रूप से विवाद नही रखना चाहते है। जिससे रेस्पोडेन्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र हम नही चलाने चाहते है। तथा रेस्पोडेन्टगण वादीगण की ओर से सभी प्रकार के खातेदारी अधिकारो का हम परित्याग करते है। जिससे रेस्पोडेन्टगण वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त कराया जावे। जिस पर विद्धवान विचारण न्यायालय ने दिनांक 12.07.2011 को रेस्पोडेन्टगण वादीगण का वादपत्र निरस्त किया गया। जिससे रेस्पोडेन्टगण वादीगण का वादपत्र रेसज्युडिकेटा से प्रभावित होगा। उक्त आशय का काउन्टर क्लेम जवाबदावे के साथ प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत हुआ। जिस पर रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने उक्त काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् विचारण न्यायालय ने दिनांक 14.08.2012 को वादपत्र मे तनकियात कायम की जाकर विरचित की गई व उभयपक्ष की साक्ष्य लिवाई जाकर विचारण न्यायालय ने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2015 को रेस्पोडेन्टगण वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण का 2/8 हक व हिस्सा घोषित करते हुए अपीलान्ट सं. 2 व 3 के पक्ष मे निष्पादित

दान पत्र व विक्रय पत्र को शून्य घोषित किया। व उसके पश्चात् रेस्पोडेन्टगण वादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जा0 दी0 का आवेदन पेश होने पर दिनांक 07.09.2015 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संशोधित आदेश पारित किया गया।

अधीनस्थ विचारण न्यायलय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2015 व संशोधित आदेश दिनांक 07.09.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने इस न्यायालय मे अपील क्रमांक डिक्री 68/2015 व अपील क्रमांक डिक्री 85/2015 प्रस्तुत की जो वाद सुनवाई इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.08.2016 को दोनो अपीले क्रमांक डिक्री 68/2015 व अपील डिक्री 85/2015 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2015 को अपास्त की जाकर प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने काउन्टर पेश किया है। परन्तु अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने काउन्टर क्लेम के सम्बन्ध मे कोई निर्णय नही किया है। काउन्टर क्लेम को अनिर्णित रखे जाने से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपूर्ण व अवैधानिक है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को श्रीमान् के न्यायालय द्वारा पारित प्रतिप्रेषित आदेश की पालना मे काउन्टर क्लेम पर तनकी कायम की जाकर दावा जवाबदावा व काउन्टर क्लेम के आधार पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित था। फिर भी अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने काउन्टर क्लेम का विस्तृत निर्णय किये बगैर बिना साक्ष्य सबुत के रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 का वादपत्र दिनांक 24.10.2018 को अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति मे डिक्री किया है।

यह कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.10.2018 के विरूद्ध अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने असंतुष्ट होकर इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की है। व अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय द्वारा पुनः अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टगण 1 से 6 जरिये अधिवक्तागण उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्टगण ने अपनी ओर से अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण द्वारा अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध मौजा चित्तौडगढ़ की आराजी नम्बर 1543, 1544, 1549, 1553, 1555, 1556, 1554, 1557 कुल किता 8 कुल रकबा 1.53 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध मे घोषणा बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने उनका हक निहित होने से खातेदारी घोषणा व बंटवाडे की घोषणा चाही जिस पर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि अपीलान्ट सं. 2 व 3 के स्वामित्व व खातेदारी कब्जे मे होना व उक्त भूमि

जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र एवं दानपत्र से अपीलान्ट सं. 2 व 3 के पिता व पति के नाम खातेदारी मे दर्ज है। पिता के जीवित रहते हुए घोषणा व बंटवाडा का वाद चलने योग्य नही होना वादग्रस्त आराजीयात मे 1/2 हक रेस्पोडेन्ट सं. 6 के नाम दर्ज था जिसे रेस्पोडेन्टगण सं. 1 से 3 ने विक्रय कर राशि प्राप्त कर ली। हक से अधिक भूमि का विक्रय रेस्पोडेन्टगण वादीगण पूर्व मे ही कर चुके है। रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने इसी भूमि के बारे मे वाद पेश किया। उक्त वाद राजीनामे से रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण के पक्ष मे खातेदारी अधिकार का त्याग कर दिया। उक्त राजीनामा वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा पूर्व मे प्रकरण सं. 38/2008 निर्णय दिनांक 12.07.2011 द्वारा राजीनामा कर लेने से रेस्पोडेन्टगण वादीगण का कोई स्वामित्व व हक शेष नही रहा है तथा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद रेसज्येडिकेटा से प्रभावित है। राजस्व न्यायालय को पंजीकृत विक्रय पत्र व दानपत्र शून्य घोषित करने का अधिकार नही है। उक्त तथ्यो के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक सिद्वान्तो के विपरीत कब्जे के अभाव मे वादपत्र स्वीकार किया है। व रेस्पोडेन्टगण वादीगण को 2/8 हक व हिस्से का खातेदार घोषित किया है। व पंजीकृत दस्तावेजो को शून्य घोषित किया है जिसका अधीनस्थ विचारण न्यायालय को अधिकार प्राप्त नही है। अपनी लिखित बहस मे यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.06.2015 के विरूद्ध न्यायालय आप मे अपील क्रमांक 68/2015 प्रस्तुत की गई जो निर्णय दिनांक 04.08.2016 द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त कर प्रकरण पुनः इन आदेश के साथ अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलान्टगण प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के काउन्टर क्लेम को निर्णित नही किया है तथा पूर्व निर्णय अपूर्ण व अवैधानिक होने से सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया। अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय को उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधिसम्मत निर्णय पारित करने का निर्देश दिया। अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय ने अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को सुने बगैर न्यायालय आपके द्वारा पारित निर्णय की अवहेलना कर बिना किसी साक्ष्य व सबुत लिये एक तरफा कार्यवाही कर निर्णय व डिक्री पारित की है। जिससे अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। लिखित बहस मे यह भी निवेदन किया गया कि रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने पुश्तैनी भूमि मे अपीलान्ट सं. 1 के जीवनकाल मे खातेदारी घोषणा व विभाजन का वाद पेश किया है। पिता के जीवित रहते हुए पुत्रो को विरासती अधिकार प्राप्त नही होते है। रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने पुश्तैनी भूमि मे कंकू बाई का नाम अंकित होने से वादग्रस्त आराजीयात मे से 1/2 हक रेसपोडेन्ट सं. 4 को विक्रय कर विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त की है। उक्त राशि रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने प्राप्त की। जिससे रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने अपनी जिरह मे स्वीकार किया। रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने अपीलान्ट सं. 1 को कोई राशि नही दी है। इस प्रकार पुश्तैनी भूमि मे रेस्पोडेन्ट सं. 6 के हक मे प्रतिवादी अपीलान्ट सं. 1 का भी हक बनता है परन्तु रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने पुश्तैनी भूमि मे से 1/2 हक विक्रय कर राशि प्राप्त कर ली है। इस कारण वादग्रस्त आराजीयात मे कोई हक शेष नही रहा। रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने

पूर्व मे प्रस्तुत वाद 38/2008 निर्णय दिनांक 12.07.2011 से अपीलान्टगण के पक्ष मे राजीनामा कर लिया जिससे रेस्पोडेन्टगण वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य नही था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण वादीगण के पक्ष मे वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया है। रेस्पोडेन्ट सं. 3 वादिया अपीलान्ट सं. 1 की पत्नि है। व पति के जीते जी पत्नि का पैतृक कृषि आराजीयात मे कोई हक व अधिकार उत्पन्न नही होता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वैधानिक बिन्दु को नजर अंदाज करते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 3 वादिया के पक्ष मे डिक्री पारित की है। जिससे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने अपनी लिखित बहस मे यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने वाद पेश करने के समय जमाबन्दी पेश नही की तथा राजस्व रेकार्ड के तथ्यो को छिपाकर भूमि को संयुक्त होना बता वाद पेश किया है जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 4 के जवाब दावा अनुसार विभाजन की डिक्री एवं बंटवाडा न्यायालय द्वारा कर दिया है। ऐसी स्थिति मे रेस्पोडेन्टगण वादीगण का वादपत्र निरस्त योग्य है। लिखित बहस मे यह भी तथ्य अंकित किये कि पंजीकृत विक्रय पत्र व दान पत्र को निरस्त करने का अधिकार अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय को प्राप्त नही है। सिविल न्यायालय ही पंजीकृत दस्तावेज को शून्य व निष्प्रभावी घोषित कर सकता है। अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपीलान्टगण प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पक्ष मे निष्पादित पंजीकृत विक्रय पत्र दानपत्र को शून्य प्रभावी घोषित किया है परन्तु अधीनस्थ विद्ववान न्यायालय ने ऐसे कोई दस्तावेज की प्रति या दस्तावेज पेश नही किए और न ही प्रदर्शित हुए। अधीनस्थ न्यायालय ने किन दस्तावेजो को शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया निर्णय व डिक्री से स्पष्ट नही होते है। अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज ही प्रस्तुत नही हुए। जो दस्तावेजो को शून्य घोषित करने का अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय को किसी प्रकार का अधिकार नही है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण ने अपनी ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत लिखित बहस दिनांक 22.01.2020 को जो पत्रावली मे प्रस्तुत है का अवलोकन कराया व यह निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 वादीगण ने अपीलान्टगण वादीगण के विरूद्ध पैतृक कृषि आराजीयात के सम्बन्ध मे घोषणा बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत किया है। विवादित आराजीयात पैतृक होने का दस्तावेज विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया। दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यो के आधार पर रेस्पोडेन्टगण वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए अधीनस्थ विद्ववान विचारण न्यायलय ने पूर्व मे दिनांक 16.06.2015 को निर्णय व डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलान्टगण ने इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गई जो अपील क्रमांक डिक्री 68/2015 दर्ज रजिस्टर की जाकर दिनांक 04.08.2016 को स्वीकार की जाकर प्रकरण इन निर्देशो के प्रतिप्रेषित हुआ कि अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम अनिर्णित रहा है। काउन्टर क्लेम मे यह तथ्य अपीलान्टगण ने अंकित किये कि रेस्पोडेन्टगण

वादीगण ने पूर्व मे प्रकरण सं. 38/2008 प्रस्तुत किया जो दिनांक 12.07.2011 को राजीनामे से विड्रो कर लिया परन्तु रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया है व जवाब मे यह तथ्य अंकित किया कि पूर्व का प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित नही हुआ है। जिससे पूर्ण सुनवाई कर निर्णय करने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो सही है। पूर्ण विधिवत सुनवाई कर निर्णय होगा। वाद बिन्दु पक्षकार व अनवान सभी अलग–अलग होने से उक्त विवादित आराजीयात बाबत वादपत्र आवश्यक होने से प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण पुनः दर्ज होकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण वादीगण का वादपत्र निर्णित करते हुए अपीलान्टगण प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम का निर्णय भी पारित किया है। फिर भी अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने न्यायालय आप मे म्याद बाहर अपील प्रस्तुत की है। जो न्यायालय आप मे निरस्त योग्य है। व गुणावगुण के आधार पर भी अधीनस्थ न्यायाालय ने दस्तावेजो का विश्लेषण कर निर्णय व डिक्री पारित की है। जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिपूर्ण होकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील गलत तथ्यो के आधार पर होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4, 6 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को न्यायोचित नही होने से प्रकरण पुनः अधीनस्थ विद्धवान न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 5 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अपीलान्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.10.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की जिसके लिये अपीलान्टगण ने धारा 5 कानून म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमे अंकित तथ्य विश्वसनीय होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की विधिपूर्ण बहस व लिखित बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रवली का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दिनांक 16.06.2015 को रेस्पोडेन्टगण वादीगण का वादपत्र डिक्री किया जिसमे अपीलान्टगण प्रतिवादीगण को बिना सुने धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की दाद विड्रो कर लिया जाना पाया जाता है। अपीलान्टगण प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से जवाबदावे के साथ काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया जिसका भी रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण ने जवाब प्रस्तुत किया है। उक्त काउन्टर क्लेम को अनिर्णित रखते हुए अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टगण वादीगण का वादपत्र डिक्री किया है जिसको इस न्यायालय मे अपील क्रमांक 68/2015 निर्णय दिनांक 04.08.2016 से अपूर्ण व अवैधानिक होना माना है। व उक्त निर्णय व डिक्री को निरस्त की जाकर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दावा व काउन्टर क्लेम

का एक साथ निर्णय पारित करने के निर्देश पारित किय गये जिस पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने दिनांक 05.09.2016 को वादपत्र पुनः दर्ज किया जाकर अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत की गई। व दिनांक 26.09.2016 को पक्षकारान के सूचना पत्र जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया। दिनांक 25.07.2018 को उभय पक्षकारान की उपस्थिति दर्ज की गई। व अपीलान्ट प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र धारा 144 जा0दी0 जो पूर्व मे पेश है के निस्तारण हेतु नियत की गई। तत्पश्चात् दिनांक 20.09.2018 को प्रार्थना पत्र बहस हेतु व प्रतिवादी सं. 4,5,6 की अनुपस्थिति दर्ज की गई। उक्त प्रार्थना पत्र धारा 144 जा0 दी0 जो पत्रावली मे विचाराधीन था उसका निस्तारण किये बगैर बिना सुनवाई किये अपीलान्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक 08.10.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रार्थना पत्र धारा 144 जा0 दी0 का निस्तारण किये बगैर एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो बिना सुनवाई के पारित की गई है व इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.08.2016 की पालना अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा नही किया जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.10.2018 संहवनीय नही होकर अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण प्रतिवादीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ प्रकरण संख्या 42/2012 अंतिम निर्णय व डिकी दिनांक 24.10.2018 निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 144 जा0 दी0 स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमिधारी चित्तौड़गढ़ राजस्व रेकार्ड की वादपत्र प्रस्तुति दिनांक 25.01.2012 की स्थिति दर्ज की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलान्टगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम की तनकी विरचित की जाकर दावे व काउन्टर क्लेम जिसमे प्रकरण सं. 38/2008 निर्णय दिनांक 12.07. 2011 से रेस्पोडेन्टगण वादीगण ने राजीनामे से वादपत्र विड्रो किया है जिसका इस वादपत्र पर क्या प्रभाव रहता है के अनुसार आदेश 20 नियम 5 की पालना कर उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अजरसे नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ